HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14914/2026
CNR: RJHC020918652026 | URN: CRLMB / 27464U / 2026

1. Saruk S/o Shri Eslam, Aged About 21 Years, R/o Pendka Road, Town Brijnagar, P.s. Brijnagar Dist. Deeg, Rajasthan. (At Present Confined At Sub Jail, Deeg).
2. Hedar Khan S/o Shri Phajjar Khan, Aged About 18 Years, R/o Pendka Road, Town Brijnagar, P.s. Brijnagar Dist. Deeg, Rajasthan. (At Present Confined At Sub Jail, Deeg).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amir Aziz, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

26/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना–नगर, डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**239/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 112(2), 61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता तथा 66डी आई.टी. एक्ट में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। वे दिनांक 22.08.2026 से अभिरक्षा में हैं, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

Digitally signed by
ARUN KUMAR
MITTAL
Date: 2026.11.26
16:39:32 IST

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण पर साईबर फ्रॉड से संबंधित आरोप है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, अभियुक्तगण दिनांक 22.08.2026 से अभिरक्षा में हैं तथा विचारण में समय लगने की संभावना है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **1. सारूक पुत्र इस्लाम, 2. हैदर खान पुत्र फज्जर खान** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/24/Mittal